अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-1/2026-हिं.अ. दिनांक: 06.11.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मंत्रालय के निरीक्षण के संबंध में अनुवर्ती करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं राजभाषा प्रभारी) महोदय के दिनांक 10 सितम्बर, 2026 के पत्र सं. ई.-11015/1/2021-हिंदी के अनुसार संस्थान को सूचित किया गया है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राजभाषायी निरीक्षण का संदर्भ देते हुए सचिव (स्वास्थ्य) महोदया ने विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 11 अप्रैल, 2026 के उक्त अ.शा. पत्र के तहत कुछ मुख्य बिंदुओं पर विशेष बल दिया था **(प्रति संलग्न)**।

सचिव (स्वास्थ्य) महोदया के उक्त अ.शा. पत्र को विचार में लेते हुए, माननीय संयुक्त सचिव महोदय द्वारा संस्थान के निदेशक महोदय से पुनः यह अनुरोध किया गया है कि राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का पूर्णतया अनुपालन और अपने कार्यालय/संस्थान के सभी अनुभागों/केंद्रों एवं विभागों में आधिकारिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित करें:-

i. **अपनी ओर से भेजे वाले पत्र हिंदी में भेजने का प्रयास करें।**
ii. **अपने अधीनस्थ प्रभागों और अनुभागों को निर्देश दें कि वे ई-फाइलों में अपनी नोटिंग और ड्राफ्टिंग जहां तक संभव हो, हिंदी में करें। (ई-ऑफिस में भी अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है)**
iii. **हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।**
iv. **सेवा पुस्तिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।**
v. **बैठकों की कार्यसूची (Agenda) और कार्यवृत्त (Minutes) हिंदी में भी तैयार कराएं।**
vi. **रिपोर्टें/डाटा आदि भेजते समय उनके अग्रेषण पत्र (forwarding letter) हिंदी में भेजें।**
vii. **'क' और 'ख' क्षेत्रों (हिंदी भाषी क्षेत्रों और गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब) से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर ज्यादा से ज्यादा हिंदी में देने का प्रयास करें।**
viii. **रजिस्टरों में प्रविष्टियां (entries) निश्चित रूप से हिंदी में करायी जानी आवश्यक हैं।**
ix. **मंत्रालय से देश के सभी सीजीएचएस अपर निदेशकों को पत्र, ज्ञापन और सूचनाएं अंग्रजी में भेजी जा रहीं हैं। इस तरह के सभी पत्राचार हिंदी अथवा द्विभाषी किए जाएं।**
x. **मेडिकल और तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में यथावत रखा जाए तथा अन्य सामग्री (कंटेंट) को हिंदी में भी बनाया जाए।**
xi. **जारी किए जाने वाले विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। यदि हिंदीतर भाषी क्षेत्र में विज्ञापन जारी किया जाता है तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी का क्रम अपनाया जाए।**

जारी-2/-

अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय संयुक्त सचिव महोदय द्वारा जारी उक्त कार्यालय ज्ञापन को विचार में लेते हुए, उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों और विभागों द्वारा अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है ताकि संस्थान में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में और अधिक वृद्धि हो सके और संस्थान के सभी अनुभागों/केंद्रों एवं विभागों में आधिकारिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित हो सके।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

निखिल टंडन

प्रो.(डॉ. निखिल टंडन)
निदेशक एवं अध्यक्ष
राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स

वितरण: तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केंद्र एवं विभाग।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- **"क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमण व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।**